अध्याय-III : वाहनों, माल और यात्रियों पर कर

3.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग की प्राप्तियां, केन्द्रीय एवं राज्य मोटर वाहन अधिनियमों व इसके अन्तर्गत बनाये नियमों से विनियमित होती है एवं परिवहन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। पथकर और विशेष पथकर से प्राप्तियां, राजस्थान राज्य मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951, उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं समय-समय जारी अधिसूचनाओं से विनियमित होती है।

परिवहन विभाग के प्रमुख परिवहन आयुक्त होते हैं और उनकी सहायता के लिये पांच अतिरिक्त परिवहन आयुक्त तथा 13 उपायुक्त होते हैं। सम्पूर्ण राज्य 11 क्षेत्रों में विभाजित है जिनमें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं पदेन सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, कार्यालय प्रमुख होते हैं। इसके अलावा 37 वाहन पंजीयन एवं कराधान कार्यालय हैं जिनमें जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय प्रमुख होते हैं।

3.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के अधीन एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह है। इस समूह को कर निर्धारण प्रकरणों की मापक जांच, अनुमोदित योजना एवं परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करनी होती है ताकि नियमों व अधिनियमों व समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों की पालना को सुनिश्चित किया जा सके।

गत पांच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	लेखापरीक्षा हेतु डयू इकाईयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा हेतु डयू इकाईयां	लेखापरीक्षा हेतु कुल डयू इकाईयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयां	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाईयां	कमी प्रतिशत में
2011-12	-	43	43	43	-	-
2012-13	-	43	43	43	-	-
2013-14	-	43	43	39	4	9.30
2014-15	4	51	55	45	10	18.18
2015-16	10	57	67	66	1	1.50

स्रोतः सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रेषित सूचनाओं के अनुसार।

यह पाया कि वर्ष 2015-16 के अन्त में 12,375 अनुच्छेद बकाया थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	1992-93 से 2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	योग
अनुच्छेद	8,210	664	729	651	805	1,316	**12,375**

इन 12,375 अनुच्छेदों में से 8,210 अनुच्छेद वर्ष 2010-11 की अवधि से पूर्व से सम्बन्धित थे, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि वृहद् संख्या में बकाया अनुच्छेदों पर विभाग को विशेषतः पांच वर्ष से अधिक अवधि के बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिक विलम्ब होने पर वसूली की सम्भावना कम हो जायेगी ।

सरकार को, आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा उठाये गये बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे के लिये समुचित निर्देश जारी करने चाहिए ।

3.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2015-16 के दौरान 27 इकाईयों के अभिलेखों की मापक जांच में लेखापरीक्षा को 9,235 प्रकरणों में सन्निहित ₹ 38.12 करोड़ की अनियमितताओं का पता चला । ये प्रकरण मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियो में आते हैं:

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	'माल वाहनों के संचालन पर परिवहन विभाग का नियंत्रण' पर एक अनुच्छेद	1	10.62
2	कर, शास्ति, ब्याज एवं प्रशमन शुल्क की अवसूली/कम वसूली	5,672	13.01
3	मोटर वाहन कर/विशेष पथकर की संगणना, कर का अनिर्धारण/ निर्धारण कम करना	3,473	14.46
4	अन्य अनियमिततायें अ- राजस्व से सम्बन्धित ब- व्यय से सम्बन्धित	 13 76	 0.01 0.02
योग		**9,235**	**38.12**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 9,325 प्रकरणों में ₹ 27.86 करोड़ के कम निर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 7.49 करोड़ के 2,503 प्रकरण वर्ष 2015-16 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे । वर्ष 2015-16 के दौरान, 2,704 प्रकरणों में ₹ 7.40 करोड़ की राशि वसूल की गयी, जिसमें से ₹ 1.28 करोड़ के 493 प्रकरण वर्ष 2015-16 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे ।

'माल वाहनों के संचालन पर परिवहन विभाग का नियंत्रण' पर एक अनुच्छेद जिसमें निहित राजस्व राशि ₹ 10.62 करोड़ तथा कुछ निदर्शी प्रकरण जिनमें 10.35 करोड़ सन्निहित हैं, पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है ।

3.4 माल वाहनों के संचालन पर परिवहन विभाग का नियंत्रण

3.4.1 परिचय

माल वाहन जो कि मुख्यतः वह मोटर वाहन होते हैं जिनका निर्माण अथवा प्रयोग पूर्णतया वस्तुओं को लाने ले जाने के लिये ही किया जाता है, इन पर लगाया जाने वाला कर परिवहन विभाग की आय का एक प्रमुख स्रोत होता है। इन्हें आगे तीन श्रेणियों: भारी माल वाहन, हल्के माल वाहन एवं मध्यम माल वाहन में विभाजित किया गया है। माल वाहनों को राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र या समस्त राजस्थान भार अनुज्ञापत्र के द्वारा परिचालन की अनुमति दी जाती है। ऐसा वाहन जिसका सकल वाहन भार 3,000 किलो ग्राम से अधिक न हो, उसे अनुज्ञापत्र प्राप्त करने से मुक्त रखा गया है।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) द्वारा वाहनों के पंजीयन के लिये विकसित किये गये 'वाहन' एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग विभाग द्वारा किया गया है। यह एप्लीकेशन वाहन पंजीयन, कर संग्रहण, विभिन्न प्रमाण-पत्रों, अनुज्ञापत्रों को जारी करना एवं वाहनों के फिटनेस का रिकॉर्ड करने में विभाग की मदद करता है।

3.4.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं उददेश्य

राज्य में संचालित माल वाहनों से कर, सरचार्ज, शास्ति, शुल्क एवं अन्य प्रभारों की वसूली सुनिश्चित करने के लिये लागू प्रावधान, प्रभावी थे, को सुनिश्चित करने हेतु चयनित[1] नौ प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों[2] एवं पांच जिला परिवहन अधिकारियों[3] द्वारा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक के संधारित अभिलेखों की मापक जांच अक्टूबर 2015 से अगस्त 2016 तक की गयी थी। इस अनुच्छेद में नियमित लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये कुछ प्रकरण भी शामिल किये गये हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.4.3 माल वाहनों का पंजीकरण

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रावधान के अनुसार किसी वाहन का पंजीयन करवाये बिना उसे सार्वजनिक स्थान/अन्य स्थान पर नहीं चलायेगा। वाहनों के पंजीकरण के तथ्य पंजीकरण मॉडयूल 'वाहन सॉफ्टवेयर' में दर्ज किये गये हैं।

3.4.3.1 विलम्ब से पंजीयन के निवारण का अभाव

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 47 के अन्तर्गत मोटर वाहन के पंजीकरण के लिये आवेदन, वाहन की सुपुर्दगी लेने की तिथि से सात दिन के अन्दर करना होगा। इसके

[1] राजस्थान के 54 जिला परिवहन अधिकारियों में से 14 प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों (25 प्रतिशत चयन) का चयन प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन टू साइज सेम्पलिंग विधि से किया गया।

[2] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी: अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर।

[3] जिला परिवहन अधिकारी: बांसवाड़ा, डीडवाना, जैसलमेर, नागौर एवं प्रतापगढ़।

अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 41 के साथ राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के नियम 4.17 के अन्तर्गत वाहन के पंजीयन में विलम्ब के लिये प्रशमन शुल्क ₹ 25 प्रति कलेण्डर माह की दर से अधिकतम ₹ 100 देय है । अप्रैल 1990 के पश्चात दर संशोधित नहीं की गयी है ।

तीन प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों[4] के पंजीयन पत्रावली की जांच में पाया गया कि 20 वाहनों का पंजीयन निर्धारित सात दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात किया गया था । 16 मामलों के अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि वाहनों का पंजीयन सुपुर्दगी लेने की तिथि से एक माह से 20 माह तक के विलम्ब से किया गया था । प्रशमन शुल्क की धारा, वाहनों के पंजीयन में विलम्ब को रोकने के लिये सम्मिलित की गयी थी । लेकिन प्रशमन शुल्क की अत्यधिक कम दर की वजह से धारा के उददेश्य की पूर्ति नहीं हो पायी है ।

मामला, विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2016 एवं सितम्बर 2016 के मध्य) उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016 तक) ।

3.4.3.2 विशिष्ट पंजीयन क्रमांक के पंजीयन शुल्क की कम वसूली/अवसूली

राजस्थान मोटर वाहन नियमों के नियम 4.3 के अनुसार राज्य सरकार एक व्यक्ति को अपने नये वाहन पर अग्रिम में पंजीयन क्रमांक आवंटित करने की या पूर्व के वाहन हेतु पहले से आवंटित पुराने क्रमांक को नये वाहन पर बनाये रखने की अनुमति शुल्क के भुगतान करने पर दे सकती है । विभाग ने अग्रिम पंजीयन क्रमांक आवंटन या पुराने क्रमांक को धारण करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट की (1 अक्टूबर 2014) । राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2003 एवं 1 अक्टूबर 2014 को अधिसूचना जारी कर विशिष्ट पंजीयन क्रमांक के लिये शुल्क तय किया गया ।

'वाहन सॉफ्टवेयर' में क्रमांक आवंटन पर निगरानी करने की प्रणाली थी परन्तु प्रत्येक विशिष्ट पंजीयन क्रमांक के लिये देय शुल्क के लिये 'वाहन सॉफ्टवेयर' में प्रावधान नहीं किया गया था । भुगतान योग्य शुल्क की गणना मैन्युअल की गयी थी । वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान 14 प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों[5] द्वारा आवंटित 699 नये विशिष्ट पंजीयन क्रमांको के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 349 मामलों में विशिष्ट पंजीयन क्रमांक शुल्क राशि ₹ 56.88 लाख की अवसूली/कम वसूली की गयी थी । अवसूली/कम वसूली के कारण अभिलेखों में नहीं पाये गये ना ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाये गये ।

मामला, विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2016 एवं सितम्बर 2016 के मध्य) उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016) ।

3.4.4 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकार

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 के अनुसार मोटर वाहन के स्वामी को किसी माल वाहन को किसी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन के रूप में चलाने या प्रयोग करने को

[4] प्रादेशिक परिवहन अधिकारीः जोधपुर, सीकर एवं उदयपुर ।

[5] प्रादेशिक परिवहन अधिकारीः अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, जयपुर,जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः बांसवाड़ा, डीडवाना, जैसलमेर, नागौर एवं प्रतापगढ़ ।

निषेध करता है जब तक की शर्तों के साथ जारी अनुज्ञापत्र से अथवा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर से जारी अनुज्ञापत्र से, ऐसे स्थान पर वाहन का उपयोग एवं निर्दिष्ट तरीके से वाहन का उपयोग प्राधिकृत नहीं हो । यद्यपि ऐसे माल वाहन जिनका सकल वाहन भार 3,000 किलोग्राम से अधिक नहीं है को अनुज्ञापत्र लेने की आवश्यकता नहीं थी ।

3.4.4.1 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों के प्राधिकार के नवीनीकरण का अभाव

राष्ट्रीय स्तर पर संचालित करने के इच्छुक माल वाहन को राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के लिये प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होता है । राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र जारी होने की दिनांक से पांच वर्ष के लिये वैध है । ऐसे अनुज्ञापत्रों की वैधता अवधि समाप्त होने के 15 दिन पूर्व नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । नई राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रणाली (मई 2010) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकार के लिये मार्च 2012 तक कम्पोजिट शुल्क के रूप में राशि ₹ 15,000 मय गृह राज्य प्राधिकार शुल्क राशि ₹ 1,000 प्रतिवर्ष जमा करवाया जाना था । इसके पश्चात राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकार के लिये कम्पोजिट शुल्क के रूप में राशि ₹ 16,500 के साथ गृह राज्य प्राधिकार शुल्क राशि ₹ 1,000 प्रतिवर्ष जमा करवाया जाना था ।

नौ प्रादेशिक परिवहन अधिकारियो[6] की वाहन पत्रावलियों, अनुज्ञापत्र पंजिकाओं, रसीद बुकों, रोकड पुस्तिकाओं एवं वाहन सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध आंकडों की जांच में पाया गया कि 3,36,675 भार वाहनों में से 22,439 वाहनों के द्वारा अनुज्ञापत्र के प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था, जिनका विवरण तालिका में निम्नानुसार है:

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग
कुल जारी अनुज्ञापत्र (संख्या में)	40,777	75,110	70,620	72,481	77,687	3,36,675
बकायेदारों की संख्या	2,122	4,183	4,710	4,396	7,028	22,439
बकायेदारों का प्रतिशत	5.20	5.57	6.67	6.07	9.05	6.66
दर प्रति प्राधिकार (₹ में)	16,000	16,000	17,500	17,500	17,500	-
देय राशि (₹ करोड़ में)	3.40	6.69	8.24	7.69	12.30	38.32

अभिलेखों में यह चिन्हित नहीं किया गया कि यह वाहन संचालन से बाहर थे या अन्य राज्यों को स्थानान्तरित हो चुके थे । प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों द्वारा वाहन स्वामियों को न तो कोई नोटिस जारी किया गया और न ही यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि यह वाहन संचालन से बाहर हो चुके थे । इन 22,439 वाहनों पर कम्पोजिट शुल्क एवं गृह राज्य प्राधिकार शुल्क की बकाया राशि ₹ 38.22 करोड़ थी ।

3.4.4.2 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र निरस्त करने के पश्चात औपचारिकताओं का पालन करने का अभाव

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (डी) के अन्तर्गत यदि अनुज्ञापत्र धारक द्वारा धोखाधड़ी या गलत बयानी से अनुज्ञापत्र प्राप्त किया गया हो तो परिवहन प्राधिकारी जिसने अनुज्ञापत्र

[6] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी: अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, जयपुर,जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर ।

जारी किया था ऐसे अनुज्ञापत्र को रदद करने या ऐसी अवधि के लिये इसे निलम्बित कर सकता है जो वह ठीक समझे। राजस्थान मोटर वाहन नियमों के नियम 5.35 (1)(i) के अन्तर्गत जब प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 के अन्तर्गत कोई अनुज्ञापत्र निलम्बित या रद्द करता है, तो धारक, सम्बन्धित प्राधिकारी से लिखित में आदेश प्राप्ति के सात दिवस में अनुज्ञापत्र के भाग क[7], ख[8] एवं प्राधिकार पत्र समर्पित करेगा।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर के अनुज्ञापत्र के अभिलेखों की अवधि 2013-15 की मापक जांच के दौरान ध्यान में आया कि 207 भार वाहनों के राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों को धोखाधड़ी या गलत बयानी के आधार पर रद्द किये गये थे। यह भी जांच में पाया गया कि 207 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों में से 31 अनुज्ञापत्रों के प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी। राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों को निरस्त किये जाने के बावजूद अनुज्ञापत्र के भाग क, ख एवं वैध प्राधिकार पत्र समर्पित नहीं किये गये थे ना ही परिवहन प्राधिकारी द्वारा वाहनों को जब्त करने की कोई कार्यवाही की गयी थी। इस प्रकार निरस्तीकरण के बाद की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किये जाने से अनुज्ञापत्रों के निरस्तीकरण के उपरान्त भी वाहनों के संचालन की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता।

मामला, विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2016 एवं सितम्बर 2016 के मध्य) उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

इस प्रकार, सरकार उन वाहनों को जिन्हें राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र जारी किये गये थे परन्तु जिन्होंने प्राधिकार पत्र के नवीनीकरण के लिये आवेदन नहीं किया हो, को नियंत्रित करने के लिये एक प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर सकती है।

3.4.5 कर का आरोपण एवं संग्रहण

जांच में पाया गया कि कर, शुल्क एवं अन्य प्रभारों की वसूली सुनिश्चित करने के लिये पंजीकृत वाहनों के कर खातों के उचित संधारण की निगरानी के लिये विभाग में कोई प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी। विभाग में उन वाहनों की संख्या प्रदर्शित करने के लिये जिनके देय कर का भुगतान नहीं किया गया था हेतु कोई विवरणी निर्धारित नहीं की गयी थी।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा ऐसे वाहनों की संख्या को जानने हेतु कोई प्रतिवेदन नहीं लिया गया था जो वाहन सड़क पर नहीं चल रहे थे या जिनका संचालन अन्य जिलों/राज्यों को स्थानान्तरित हो गया था। कमजोर निगरानी तंत्र के परिणामस्वरूप कराधान अधिकारियों के स्तर पर देय कर की वसूली के लिये कार्यवाही का अभाव रहा। कुछ मामलों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में दर्शाया गया है:

3.4.5.1 मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर की कम वसूली/अवसूली

राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम, 1951 की धारा 4 एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 9 मार्च 2007 को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में प्रयोग के लिये रखने या प्रयोग किये गये भार वाहनों मय संलग्न भार वाहनों पर मोटर वाहन

[7] भाग क-वाहन, वाहन के स्वामी, राज्य का नाम जिसके लिये अनुज्ञापत्र जारी किया गया, वैधता अवधि एवं शर्तों का विवरण।

[8] भाग ख-वाहन, अनुज्ञापत्र का स्वामी जिसमें हस्तानान्तरणकर्ता एवं अन्तरिति इत्यादि का विवरण।

कर एवं विशेष पथकर का आरोपण एवं संग्रहण निर्धारित दर से किया जाना है । इसके अतिरिक्त दिनांक 9 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार कर पर पांच प्रतिशत की दर से अधिभार भी देय था ।

- **संलग्न भार वाहन**

अवधि 2012-15 हेतु 16 प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों[9] के कर खातों एवं वाहन सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध आंकडों की मापक जांच के दौरान पाया गया कि 640 संलग्न भार वाहनों के मामलों में वर्ष अप्रैल 2012 से मार्च 2015 तक की अवधि के लिये मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर मय सरचार्ज राशि ₹ 2.26 करोड़ जमा नही करवाया गया था । इस तथ्य को ध्यान में लाये जाने के पश्चात विभाग ने सूचित किया कि आक्षेपित वाहनों में से 74 वाहनों की राशि ₹ 20.74 लाख पूर्व में ही जमा थी या देय नहीं थी । इस प्रकार 566 संलग्न भार वाहनों का कर उनके वाहन स्वामियों द्वारा जमा नहीं करवाया गया था । तथापि, कराधान अधिकारियों द्वारा बकाया कर के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी । इसके परिणामस्वरूप कर एवं सरचार्ज की राशि ₹ 2.06 करोड़ की अवसूली रही ।

मामला, विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2016 एवं सितम्बर 2016 के मध्य) उनका उत्तर प्रतीक्षित रहा (अक्टूबर 2016) ।

- **भार वाहन**

उन्नीस प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों[10] के कर खातों एवं वाहन सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध आंकडों की मापक जांच के दौरान पाया गया कि 1,689 भार वाहनों के मामलों में वर्ष अप्रैल 2012 से मार्च 2015 तक की अवधि के लिये मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर मय सरचार्ज राशि ₹ 3.79 करोड़ जमा नही करवाया गया था । इस तथ्य को ध्यान में लाये जाने के पश्चात विभाग ने सूचित किया कि आक्षेपित वाहनों में से 110 वाहनों की राशि ₹ 15.98 लाख पूर्व में ही जमा थी या देय नहीं थी । इस प्रकार 1,579 भार वाहनों का कर उनके वाहन स्वामियों द्वारा जमा नहीं करवाया गया था । तथापि, कराधान अधिकारियों द्वारा बकाया कर की वसूली के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी । इसके परिणामस्वरूप कर एवं सरचार्ज की राशि ₹ 3.63 करोड़ की अवसूली रही ।

मामला, विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2016 एवं सितम्बर 2016 के मध्य) उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016) ।

3.4.5.2 डम्पर/टिप्पर से मोटर वाहन कर की कम वसूली/अवसूली

राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम की धारा 4 एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 मार्च 2002 को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में प्रयोग के लिये रखने या प्रयोग किये गये विशेष श्रेणी के भार वाहनों (डम्पर/टिप्पर) से

[9] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी: अलवर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारी: डीडवाना, हनुमानगढ़, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर एवं प्रतापगढ़; स्थानीय लेखापरीक्षा: प्रादेशिक परिवहन अधिकारी: अजमेर एवं जिला परिवहन अधिकारी भीलवाड़ा ।

[10] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी: अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, जयपुर,जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारी: बांसवाडा, डीडवाना, जैसलमेर, नागौर एवं प्रतापगढ़; स्थानीय लेखापरीक्षा: प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजमेर एवं जिला परिवहन अधिकारी: भीलवाड़ा, धौलपुर, हनुमानगढ़ एवं रामगंजमण्डी ।

मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण निर्धारित दर से किया जाना है । इसके अतिरिक्त दिनांक 9 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार कर पर पांच प्रतिशत की दर से अधिभार भी देय था ।

सत्तरह प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों[11] के कर खातों एवं वाहन सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध आंकडों की जांच के दौरान पाया गया कि 803 डम्पर/टिप्पर वाहनों के मामलों में वर्ष अप्रैल 2012 से मार्च 2015 तक की अवधि के लिये मोटर वाहन कर तथा सरचार्ज राशि ₹ 2.95 करोड़ जमा नहीं करवाये गये थे । इस तथ्य को ध्यान में लाये जाने के पश्चात विभाग ने सूचित किया कि आक्षेपित वाहनों में से 38 वाहनों की राशि ₹ 9.97 लाख पूर्व में ही जमा थी या देय नहीं थी । इस प्रकार 765 भार वाहनों का कर उनके वाहन स्वामियों द्वारा जमा नहीं करवाया गया था । तथापि, कराधान अधिकारियों द्वारा बकाया कर के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी । इसके परिणामस्वरूप कर एवं सरचार्ज की राशि ₹ 2.85 करोड़ की अवसूली रही ।

मामला, विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2016 एवं सितम्बर 2016 के मध्य) उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016) ।

3.4.5.3 परिवहन वाहनों से एकमुश्त कर की बकाया किश्तों की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 सी एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार निर्धारित की गयी दर से परिवहन वाहनों से एकमुश्त कर का आरोपण किया जावेगा । वाहन स्वामी के विकल्प पर एकमुश्त कर का भुगतान एक साथ या एक वर्ष की अवधि में तीन समान किस्तों में एवं 14 जुलाई 2014 से छः समान किस्तों में किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त 9 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार कर पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार भी देय था ।

पांच प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों[12] के वर्ष 2013-14 से 2014-15 के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान पाया गया (जून 2015 से नवम्बर 2015 के मध्य) कि 188 परिवहन वाहनों के सम्बन्ध में वाहन स्वामियों द्वारा एकमुश्त कर को किस्तों में भुगतान करने का विकल्प दिया गया था । वाहन स्वामियों द्वारा एक या दो किस्तों के भुगतान के पश्चात शेष किस्तों का भुगतान नहीं किया गया था । तथापि, कराधान अधिकारियों द्वारा बकाया कर के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी । इसके परिणामस्वरूप एकमुश्त कर की राशि ₹ 85.69 लाख की अवसूली रही ।

यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात (जून 2015 से मई 2016 के मध्य) विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2016) कि आक्षेपित वाहनों में से 49 वाहनों की राशि ₹ 22.26 लाख की वसूली कर ली गयी थी । शेष वाहनों के सम्बन्ध में उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016) ।

[11] प्रादेशिक परिवहन अधिकारीः अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, जयपुर,जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः बांसवाड़ा, डीडवाना, जैसलमेर, नागौर एवं प्रतापगढ़; स्थानीय लेखापरीक्षाः प्रादेशिक परिवहन अधिकारीः अजमेर एवं जिला परिवहन अधिकारीः भीलवाड़ा एवं रामगंजमण्डी ।

[12] प्रादेशिक परिवहन अधिकारीः उदयपुर एवं सीकर; जिला परिवहन अधिकारीः जयपुर (सीसी), बालोतरा एवं चौमू ।

3.4.5.4 कर छूट से अनुचित लाभ

राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियमों के नियम 28 के अन्तर्गत किसी वाणिज्यिक उपक्रम के वाहनों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार, राजस्थान सरकार या भारत के किसी अन्य राज्य की सरकार के या उनकी ओर से मोटर वाहन को स्वामित्य में लेकर एवं विशिष्ट रूप से उन्हीं के लिए उपयोग में लिया गया है तो उसे कर से मुक्त रखा गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी मोटर वाहन जिसे केवल तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के प्रयोजन के लिये बनाया गया हो तथा इस कार्य हेतु राजस्थान में उपयोग किया हो तो राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियमों के नियम 28(ओ) के अनुसार कर के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान की गयी है। कोई मोटर वाहन जो शैक्षणिक संस्थान के स्वामित्व में हो और केवल इसी उददेश्य के लिये प्रयोग किया गया हो तथा जिसकी बैठक क्षमता (ड्राईवर को छोड़कर) नौ से अधिक होने पर कर के भुगतान से छूट प्रदान की गयी थी। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 41(4) के अन्तर्गत फायर टेण्डर को एक परिवहन यान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

आठ प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों[13] के वर्ष 2012-15 के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान पाया गया कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों[14] एवं शैक्षणिक संस्थान[15] के 11 फायर टेण्डरों का गैर परिवहन यान के रूप में अनियमित पंजीयन सम्बन्धित कराधान अधिकारियों द्वारा किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 49.21 लाख की छूट का अनुचित लाभ दिया गया।

मामला, विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2016 एवं सितम्बर 2016 के मध्य) उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

3.4.6 भार वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 56 सपठित केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 62 के अनुसार कोई परिवहन वाहन जब तक वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जायेगा जब तक वह निर्धारित प्रारूप में निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लेता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान मोटर वाहन नियमों के नियम 4.2-ए के अनुसार एक परिवहन यान यदि वह पुनः पंजीकरण नहीं करवाता है तो उसके प्रथम पंजीकरण की तिथि के 15 वर्ष पश्चात वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जायेगा। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 81 के अनुसार नये भार वाहनों के मामले में फिटनेस प्रमाण-पत्र दो वर्ष के लिये वैध होगा; इसके पश्चात यह ₹ 100 के निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जायेगा।

जांच में पाया गया कि विभाग में सुनिश्चित और निगरानी करने की प्रणाली नहीं थी से संचालित किये जा रहे पुराने वाहनों के पास वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र कि नये भार वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र दो वर्ष के लिये वैध थे और उनका विस्तृत विवरण प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध था जहां उन्हें पंजीकृत करवाया गया था। यद्यपि दो वर्ष की

[13] प्रादेशिक परिवहन अधिकारीः अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं सीकर; जिला परिवहन अधिकारीः जैसलमेर एवं नागौर।

[14] भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, गैस ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, रीको, गोदावरी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जे.के. सीमेन्ट लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड एवं नारायण सेवा संस्थान।

[15] परम एजुकेशन सोसाइटी, सीकर।

अवधि की समाप्ति के पश्चात वाहन स्वामी किसी भी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय में अपने फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण करवा सकता है । इन मामलों में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय जहां वाहन का पंजीकरण करवाया गया था में फिटनेस प्रमाण-पत्र के आंकडों को अद्यतन करने की प्रणाली नहीं थी इस प्रकार वाहन सॉफ्टवेयर उन वाहनों की सही स्थिति नहीं दर्शाता है जो वाहन अपने फिटनेस प्रमाण-पत्र को नवीनीकरण करवाने नहीं आये ।

वाहन सॉफ्टवेयर में उपलब्ध आंकडों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान परिवहन श्रेणी के अधीन 15 वर्षों में पंजीकृत 1,74,264 भार वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्रों का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था । ₹ 1.74 करोड़ के राजस्व की वसूली पर निगरानी के अतिरिक्त वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र के साथ वाहनों के संचालन होने को सुनिश्चित नहीं किया जा सका और इस प्रकार सुरक्षा मापदण्डों से समझौता किया गया ।

मामला, विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2016 एवं सितम्बर 2016 के मध्य) उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016) ।

3.4.7 लम्बित चालानों के जुर्माने की अवसूली

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 200(1) एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किसी भी अपराध के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से जुर्माना किया जायेगा । सरकार की अधिसूचनाओं[16] में निश्चित श्रेणी के अपराधों के लिये जुर्माने की दर निर्धारित की गयी थी ।

बारह प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों[17] की जांच के दौरान पाया गया कि विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वारा जारी चालानों की निगरानी के लिये विभाग में कोई तंत्र नहीं था । इन कार्यालयों में इस उददेश्य के लिये कोई पंजिका का संधारण नहीं किया गया था । चालानों के माहवार बण्डल बिना कार्यवाही के अलमारियों में पड़े हुए थे । यद्यपि वाहन सॉफ्टवेयर में चालानों की निगरानी के लिये एक मॉडयूल था लेकिन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर को छोड़कर अन्य किसी कार्यालय के द्वारा मॉडयूल में प्रविष्टि नहीं की गयी थी । बकाया चालानों[18] की संवीक्षा में यह पता चला कि भार वाहनों से सम्बन्धित वर्ष 2012-15 के 812 बकाया चालानों का इनके वाहन स्वामियों द्वारा निस्तारण नहीं करवाया गया था । कराधान अधिकारियों द्वारा भी इन चालानों के लिये कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गयी । राशि ₹ 73.45 लाख विभाग द्वारा वसूल किये जा सकते थे ।

मामला, विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2016 एवं सितम्बर 2016 के मध्य) उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016) ।

---

[16] 21 अगस्त 2009, 22 जुलाई 2010, 28 जनवरी 2013 एवं 3 जुलाई 2014 ।

[17] प्रादेशिक परिवहन अधिकारीः अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः डीडवाना, जैसलमेर एवं नागौर ।

[18] प्रत्येक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी के वित्तीय वर्ष 2012-15 की अंतिम तिमाही के 25 बकाया चालानों का चयन किया गया था तथापि प्रादेशिक परिवहन अधिकारीः चित्तौडगढ, सीकर और जिला परिवहन अधिकारी डीडवाना और जैसलमेर में क्रमशः केवल 72, 64, 50 और 26 बकाया चालान उपलब्ध थे । इसलिये कुल 812 चालानों की मापक जांच की गयी ।

3.4.8 अस्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना ही वाहनों का स्थानान्तरण

राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 4.2 (1)(ए) के अन्तर्गत अस्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन किया जाना आवश्यक है जब कोई वाहन किसी निर्माता द्वारा अपने किसी डीलर को या उप डीलर को बेचा या स्थानान्तरित किया गया हो या अपनी शाखा को राज्य में या राज्य के बाहर पुनः बेचान हेतु प्रेषित किया गया हो । उक्त नियम की व्याख्या टिप्पणी में स्पष्ट किया गया है कि किसी वाहन को जारी अस्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र उस वाहन के डीलर या उप डीलर या इसकी शाखा की सीमा में पहुंचते ही तुरन्त समाप्त मानी जायेगी । नियम 4.2 के उप नियम (2) में बताया गया है कि अस्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर जारी किया जावेगा और वैधता अवधि सामान्यतया एक महीने से अधिक के लिये मान्य नहीं है ।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अलवर की वर्ष 2012-15 की वार्षिक विवरणी एवं व्यवसाय प्रमाण-पत्र पंजिका की मापक जांच में पाया गया कि निर्माता मैसर्स अशोक लेलैण्ड द्वारा अपने शाखा कार्यालयों को बिना अस्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र के वाहनों का स्थानान्तरण किया गया था । फिर भी निर्माता द्वारा प्रस्तुत विवरणी में दर्शायी स्थानान्तरित वाहनों की संख्या का कराधान अधिकारी द्वारा अस्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्रों से मिलान नहीं किया गया । जिसके परिणामस्वरूप अस्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र शुल्क राशि ₹ 16.43 लाख की अवसूली रही ।

मामला, विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2016 एवं सितम्बर 2016 के मध्य) उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016) ।

3.4.9 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

प्रशमन शुल्क की दर 1 अप्रैल 1990 के पश्चात संशोधित नहीं की गयी । न्यून दरें भार वाहनों के विलम्ब से पंजीयन के मामलों की रोकथाम में असफल रही । समय पर एवं शीघ्र कर वसूली के लिये पंजीकृत वाहनों के कर खातों के संधारण की निगरानी के लिये प्रणाली के अभाव में, कर प्राधिकारी कर भुगतान के लिये जिम्मेदार वाहनों की निगरानी करने में असफल रहे । विभाग में वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र के बिना पुराने वाहनों के संचालन की निगरानी के लिये प्रणाली नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप नवीनीकरण शुल्क की अवसूली के अलावा जनता की सुरक्षा से समझौता किया गया ।

यह सिफारिश की जाती है कि भार वाहनों के विलम्ब से पंजीयन पर प्रशमन शुल्क की दर को संशोधित करने और इसके आरोपण को सुनिश्चित करने के लिये वाहन सॉफ्टवेयर में उपयुक्त प्रावधान शामिल करें; कर, शुल्क इत्यादि की वसूली समय पर सुनिश्चित करने के लिये पंजीकृत वाहनों के कर खातों की निगरानी एवं अद्यतन करने की प्रणाली में सुधार करें; ऐसे वाहन जिन पर कर देय था लेकिन प्राप्त नहीं हुआ की संख्या को दर्शाने हेतु विवरणी का प्रावधान करने पर विचार करें; बिना वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र के भार वाहनों के संचालन को रोकने हेतु उपाय करें; एवं वाहन डाटाबेस की प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली के प्रतिवेदन के आधार पर वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं करने वाले वाहन स्वामियों को नोटिस/सतर्क सन्देश जारी करने की सुविधा लागू करने का विचार करें ।

3.5 बेड़ा स्वामी द्वारा विशेष पथकर को विलम्ब से जमा करवाने पर शास्ति की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 में प्रावधान किया गया है कि समस्त करों का भुगतान अग्रिम में होगा। बेड़ा स्वामी के मामले में विशेष पथकर का भुगतान प्रत्येक महीने की 14 तारीख से पहले किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 6 में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित अवधि में वाहन का देय कर भुगतान नहीं किया गया तो बकायादार को देय कर के अतिरिक्त, विलम्ब से भुगतान पर 1.5 प्रतिशत शास्ति प्रति माह या उसके भाग के लिये भुगतान करना होगा।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर के वर्ष 2014-15 के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान देखा गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कर राशि ₹ 115.73 करोड़ जमा/समायोजन करवाये गये थे। यह देखा गया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कर जून 2014 के पश्चात एक से तीन महीने के विलम्ब से जमा करवाया गया, जिसके लिये विशेष पथकर एवं प्रभार पर शास्ति राशि ₹ 2.31 करोड़ का भुगतान देय था।

मामला विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (मार्च 2016 एवं मई 2016 के मध्य) उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

3.6 मोटर वाहनों पर कर की वसूली नहीं करना

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 और 4-बी तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार सभी मोटर वाहनों जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा उपयोग हेतु रखे गये हों, पर मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जाता है। इसके अतिरिक्त दिनांक 9 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार कर पर पांच प्रतिशत अधिभार भी देय है।

आठ प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों[19] एवं छः जिला परिवहन अधिकारियों[20] के 2012-13 से 2014-15 की अवधि के पंजीयन अभिलेखों, कर खातों, सामान्य सूची पंजिकाओं एवं वाहन सॉफ्टवेयर में उपलब्ध आंकडों की मापक जांच के दौरान पाया गया (जून 2015 एवं मार्च 2016 के मध्य) की 2,204 वाहनों के वाहन स्वामियों द्वारा अप्रैल 2013 से मार्च 2015 की अवधि के लिये या तो कर का भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया। अभिलेखों में इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं पाया कि उक्त वाहन सड़क पर नहीं चल रहे थे या अन्य जिले/राज्यों को स्थानान्तरित कर दिये गये थे। तथापि कराधान अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को देय बकाया कर की वसूली के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी थी।

[19] प्रादेशिक परिवहन अधिकारीः अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर।
[20] जिला परिवहन अधिकारीः भीलवाड़ा, भिवाड़ी, चौमू, धौलपुर, हनुमानगढ़ एवं जयपुर (संविदा वाहन)।

इसके परिणामस्वरूप नीचे दर्शायेनुसार कर व अधिभार राशि ₹ 8.04 करोड़ की अवसूली/कम वसूली रही:

क्र.सं.	वाहनों की श्रेणी	वाहनों की संख्या	कर की अवधि	राशि (₹ करोड़ में)	कार्यालय का नाम जहां अनियमिततायें पायी गयी
1	संविदा वाहन (चालक को छोड़कर 13 व्यक्तियों तक की बैठक क्षमता वाले)	1,799	अप्रैल 2013 से मार्च 2015	3.21	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय: अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय: भीलवाड़ा, चौमू, धौलपुर, हनुमानगढ़ एवं जयपुर (संविदा वाहन)।
2	संविदा वाहन (चालक को छोड़कर 13 व्यक्तियों से अधिक की बैठक क्षमता वाले)	159	अप्रैल 2013 से मार्च 2015	3.11	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय: बीकानेर, जोधपुर, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय: जयपुर (संविदा वाहन)।
3	मंजिली वाहन	184	अप्रैल 2013 से मार्च 2015	1.33	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय: अलवर, जोधपुर, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय: भिवाड़ी एवं हनुमानगढ़।
4	बिना अनुज्ञापत्र के यात्री वाहन	14	अप्रैल 2014 से मार्च 2015	0.13	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय: जोधपुर।
5	निजी सेवा यान	48	अप्रैल 2013 से मार्च 2015	0.26	जिला परिवहन कार्यालय: जयपुर (संविदा वाहन)।
योग		**2,204**		**8.04**	

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने पर (जून 2015 एवं मई 2016 के मध्य) विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि 805 वाहनों के संबंध में ₹ 2.73 करोड़ की वसूली कर ली गयी और 116 वाहनों के संबंध में वाहन स्वामियों द्वारा पूर्व में ₹ 0.55 करोड़ जमा करवा दिये गये थे। यद्यपि पंजिकाओं के संधारण में या वाहन सॉफ्टवेयर में बकाया से सम्बन्धित प्रविष्टियां दर्ज नहीं करने के कारण लेखापरीक्षा को नहीं बताये गये। शेष प्रकरणों में वसूली की प्रगति प्रतीक्षित रही (अक्टूबर 2016)।